गैर - प्रतिवेद्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपीलीय संख्या 393/2021

[विशेष अनुमति याचिका [सीआरएल] संख्या 3705/2015]

राम किशन .....अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य .....उत्तरदाता

<u>निर्णय</u>

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षिप्त 'आईपीसी') की धारा 332 और 353 के तहत अपीलकर्ता द्वारा 2006 मे दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षिप्त 'एफआईआर') संख्या 217 को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षिप्त 'सीआर.पी.सी.') की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका में खारिज कर दिया गया है।

3. संक्षेप में कहा गया है, इस मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता, जो एक पुलिस कांस्टेबल है, एक पुलिस उप निरीक्षक और एक अन्य कांस्टेबल के साथ, दिनांक 21.07.2006 को शाम को सड़क पर से गुजरने वाले वाहनों की जांच कर रहे थे। रात करीब 09:15 बजे एक मोटरसाइकिल को रोका गया और जब चालक (दीपक गुप्ता) से वाहन के कागजात के बारे में पूछा गया तो वह कागजात दिखाने के बजाय मोबाइल फोन पर बात करने के बहाने फरार हो गया और लगभग 20 मिनट के बाद एक मारुति कार में दो महिलाओं के साथ लौटा, जिनमें से एक प्रतिवादी संख्या 3 सुश्री रत्ना गुप्ता थीं और दूसरी प्रतिवादी संख्या 2 सुश्री उषा गुप्ता थीं। उक्त सुश्री रत्ना गुप्ता, जो स्वयं राजस्थान पुलिस में एक इंस्पेक्टर थीं, कार से उतरीं और अपीलकर्ता को जाति संबंधी अपशब्द कहे और पूछा कि उसका नाम (रत्ना गुप्ता का नाम) लिए जाने के बावजूद अपीलकर्ता के पास मोटरसाइकिल को रोकने की क्या शक्ति थी। इसके बाद उसने अपीलकर्ता का कॉलर पकड़ लिया, उसे थप्पड़ मारा और उसके बाद वहां से भाग गई। उक्त घटना की 2006 की प्राथमिकी संख्या 217 अपीलार्थी द्वारा 21.07.2006 को रात्रि 09:45 बजे दर्ज कराई गई थी।

4. दिनांक 22.07.2006 को दीपक गुप्ता द्वारा 2006 की क्रॉस एफआईआर संख्या 218 दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें दिनांक 21.07.2006 को देर शाम अपीलकर्ता द्वारा रोका गया

था, और अपीलकर्ता ने 100 रुपये (एक सौ रुपये) मांगे थे। जब रुपये नहीं दिये गये तो अपीलार्थी ने उक्त दीपक गुप्ता के साथ मारपीट की। यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 सुश्री उषा गुप्ता (जो उनके साथ मोटरसाइकिल पर भी थीं) के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके कपड़े फाड़ दिए।

5. 2006 की एफआईआर संख्या 218 के संबंध में, विस्तृत अनुसंधान के बाद, धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक अंतिम रिपोर्ट पुलिस द्वारा दिनांक 30.12.2006 को दायर किया गया था, जो मामला संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है।

6. 2006 की पूर्व प्राथमिकी संख्या 217 को राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसे याचिका की अनुमति दे दी गई है और कथित प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के 23.01.2015 के कथित आदेश को चुनौती देते हुए, यह विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

7. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि मटोलिया उपस्थित हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ मनीष सिंघवी राज्य प्रतिवादी नंबर 1 के लिए पेश हुए हैं, उत्तरदाता संख्या 2, और 3 (सुश्री उषा गुप्ता और सुश्री रत्ना गुप्ता) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं। दिनांक 24.07.2018 के एक पूर्व आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने दर्ज किया था कि प्रतिवादी संख्या 3 (जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुई) अपनी दलील

ठीक से देने की स्थिति में नहीं थी और इसलिए, श्री विजय हंसारिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया गया था।

8. हमने पक्षकारों के साथ-साथ एमिकस क्यूरी और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और संबंधित दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

9. अभिलेख से, साथ ही पक्षों के विद्वान अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी द्वारा किए गए निवेदन से, हमारी राय है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि रिपोर्ट, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 (उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता) की (प्राथमिकी संख्या 218), तुरंत दर्ज नहीं की गई थी, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि मुख्य रूप से 2006 की प्राथमिकी संख्या 217 से संबंधित मामला जांच के अधीन था और उच्च न्यायालय के लिए यह नहीं था कि वह इस संबंध में अपनी राय को प्रतिस्थापित करे कि 2006 की एफआईआर संख्या 217 को प्रतिरोध के रूप में दायर किया गया था, खासकर जब यह 2006 की एफआईआर संख्या 218 की तुलना में एक दिन पहले दर्ज की गई थी और मामला अभी भी जांच के अधीन था। हमारी सुविचारित राय में, केवल इस आधार पर 2006 की प्राथमिकी संख्या 217 को रद्द करना पूरी तरह से अनुचित है और कानून में इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि

उच्च न्यायालय ने मामले का निर्णय करते समय अपीलकर्ता राम किशन की दिनांक 22/07/2006 की चोट रिपोर्ट पर विचार नहीं किया है, जिसे राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और न ही 2006 की एफआईआर संख्या 217 को रद्द करने वाले आदेश में अपीलकर्ता की ओर से निवेदनों (हालांकि दर्ज किये गए) पर विचार किया गया है।

10. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2006 की एफआईआर संख्या 217 से संबंधित मामला अनुसंधानरत था और केवल इस धारणा पर कि दीपक गुप्ता की एफआईआर (प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के रूप में गलत उल्लेखित) तुरंत दर्ज नहीं की गई थी और यह भी ध्यान में रखते हुए 2006 की प्राथमिकी संख्या 218 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था, हमारी राय है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2006 की प्राथमिकी संख्या 217 को रद्द करने में त्रुटि की है।

11. तदनुसार, हम, 2008 की एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 1144 (उषा गुप्ता और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) मे, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23/01/2015 के आदेश को अपास्त करते हैं और निर्देश देते हैं कि पुलिस सीआरपीसी की धारा 173 के तहत 2006 की प्राथमिकी संख्या 217 से संबंधित एक पूर्ण और उचित जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह अपील स्वीकार की जाती है।

…… भारत के मुख्य न्यायाधीश

[एस. ए. बोबडे]

…….…… जे.

[एल. नागेश्वर राव]

…….…… जे.

[विनीत सरन]

नई दिल्ली

09 अप्रैल, 2021

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास '** के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।)

अस्वीकरण : यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।